Upkeep of historical monuments

788. SHRI JAYANT KUMAR MALHOUTRA: Will the Minister of HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) whether Government are aware that a large number of historical monuments, including the protected monuments across the country are in an extremely dilapidated condition and are even facing extinction;

(b) if so, whether any survey has been conducted in this regard;

(c) if so, the details thereof; and

(d) the steps taken or proposed to be taken for their proper upkeep?

THE MINISTER OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (SHRI S.R. BOMMAI): (a) to (d) The maintenance and conservation of centrally protected monuments is a continuous process. The centrally protected monuments are managed by the Archaeological Survey of India, through its circle offices spread all over India. These monuments are inspected regularly by the officers from the Circles/ Branches as well as from the Directorate. Conservation measures are taken up according to actual needs of individual monuments.

विश्वविद्यालय शिक्षा का समान स्तर बनाए रखने के लिए उठाए गए कदम

789. **श्री नरेन्द्र मोहन:** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश के सभी विश्वविद्यालयों में शिक्षा के स्तर में समानता बनाए रखने के लिए कोई नीति बनाई गई है;

(ख) देश में ऐसे कौन-कौन से विश्वविद्यालय हैं जिनका शिक्षा-स्तर अपेक्षाकृत उच्च कोटि का है और ऐसे कौन-कौन से विश्वविद्यालय हैं जिनका स्तर निम्न कोटि का है; और

(ग) देश में शिक्षा के स्तर का आकलन करने के लिए क्या कोई नीति या व्यवस्था बनाई गई है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री एसी राम सैकिया): (क) और (ख) राष्ट्रीय शिक्षा नीति-1986 के अनुपालन में, सरकार और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने देश के सभी विश्वविद्यालयों में शिक्षा के मानदण्डों में एक रूपता बनाये रखने के लिए अनेक उपाय किये हैं। इस दिशा में निम्नलिखित कार्य किये गये हैं:—

कालेज और विश्वविद्यालयों के शिक्षकों के वेतनमानों में दिनांक 1.1.1986 से संशोधन। शिक्षकों के प्रशिक्षण और वृत्तिका प्रोन्नयन के लिए अवसर उपलब्ध कराना। शिक्षण व्यावसाय में उत्कृष्ट प्रतिभा आकर्षित करने के लिए अखिल भारतीय पात्रता परीक्षा की शुरुआत।

नये नियुक्त विश्वविद्यालय और कालेज शिक्षकों के प्रबोधन के लिए शैक्षिक स्टाफ कालेजों की स्थापना।

पाठ्यचर्या आधुनिकीकरण के लिए विज्ञान तथा मानविकी में 27 पाठ्यक्रम विकास केन्द्रों की स्थापना। अवर स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में 27 विषयों में माडल पाठ्यचर्या तैयार की गई है।

विशेष सहायता कार्यक्रमों के अंतर्गत शिक्षण और अनुसंधान में सुधार के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा वित्तीय सहायता का प्रावधान।

विश्वविद्यालय प्रणाली में अनुसंधान के उन्नतीकरण के लिए प्रमुख सुविधायें उपलब्ध कराने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा स्थापित अंतर-विश्वविद्यालय केन्द्र।

चुनिंदा कालेजों को स्वायत्ता अनुदान के लिए दी गई उच्च प्राथमिकता।

परिचालित शैक्षिक सारणी के कार्यान्वयन के लिए दिशा-निर्देश। इन दिशा-निर्देशों में विश्वविद्यालयों/ कालेजों में कम से कम 180 शिक्षण दिवसों के निष्कर्ष पर जोर डाला गया है।

विश्वविद्यालयों अनुदान आयोग द्वारा अधिसूचित प्रथम डिग्री प्रदान करने, न्यूनतम कार्य-दिवसों इत्यादि के लिए न्यूनतम मानदंडों का विनियोजन।

(ग) विश्वविद्यालयों अनुदान आयोग ने अन्य बातों के साथ-साथ, उच्च शिक्षा संस्थानों या उनके संघटक इकाइयों के आवधिक मूल्यांकन और प्रत्यायन के लिए मानदंड विकसित करने और योजना तंत्र के लिए राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद की स्थापना की है।